

74

माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश के

न्यायालय में दि. 373-PBR-15

प्रकरण कमांक : .....

नवरतन टेक बिल्ड प्रा.लि.

तर्फे संजय गुप्ता पिता श्री राम अवतार गुप्ता

पता:- 58, आर्बिटमॉल, ए.बी. रोड, इन्दौर

.....आवेदक

विरुद्ध

1. श्री राजकुमार हंसर  
तहसील कार्यालय, इन्दौर

श्री. राजकुमार हंसर  
द्वारा आज दि. 18.2.15 को  
प्रस्तुत  
for [Signature]  
रजस्व ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

2. श्रद्धा बिल्डकॉन प्रा.लि.

582, लाभगंगा, एम.जी. रोड, इन्दौर

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम सहपठित धारा 151 सी.पी.सी

आवेदक की ओर से नम्र निवेदन है कि,

1. यह कि, आवेदक के द्वारा श्रीमान राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक R2803/II/13 में इस माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 19/07/13 व 20/01/14 और 21/07/14 को अंतरिम स्थगन आदेश आवेदक के हित में जारी किये हैं।

2. यह कि, तत्पश्चात् सदर प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर प्रकरण आदेशार्थ किया गया था, किन्तु पीठसीन सदस्य महोदय से सदर प्रकरण स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप इस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किये जा सके हैं तथा प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08/05/15 ग्वालियर मुख्यालय पर नियत की गई है।

3. यह कि, इस प्रकरण के लंबित अवस्था में तथा तहसील न्यायालय का समस्त अभिलेख इस न्यायालय में होते हुए तहसील न्यायालय के द्वारा पुनः आवेदक को दिनांक 09/02/2015 को एक अंतिम सूचना पत्र कमांक 1802/री.तह./2015 दिनांक 09/02/15 का प्रेषित किया गया है जो आवेदक को दिनांक 12/02/2015 को प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक को बलपूर्वक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियस 373-पीबीआर/2015

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2017	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से पेनल लॉयर श्री डी०के०शुक्ला तथा अनावेदक क्रमांक 2 से श्री मनोज उपाध्याय एवं श्री बृजेन्द्र धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित । चूंकि निगरानी प्रकरण क्रमांक 2803-दो/2013 का निराकरण अंतिम रूप से किया जा चुका है, इसलिये यह विविध न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण निरर्थक होने से निरस्त किया जाता है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>